3

आदेश

सचिव आपदा प्रबन्धन एवं पुर्नवास अनुभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 279/ एफ /14xviii- (2) 15–32 /ए/2013 देहरादून दिनांक 18 फरवरी 2014 के अनुक्रम में दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पतियों के पुर्न निर्माण, पुर्नस्थापना एवं मरम्मत कार्यो हेतु परगना स्तर पर गठित परियोजना कियान्वयन इकाई (पी0आई0यू0) जो " विशेष पुर्ननिर्माण इकाई " से ज्ञात है की दिनांक 26.03.2014 की बैठक में प्राप्त योजनाओं के प्राक्कलनों पर पी0आई0यू0 की सस्तुति के आधार पर निम्न तालिका के अनुसार 16 प्राक्कलन पर वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है:–.

क0 स0	विभाग का नाम/ कार्यदायी संस्था का नाम	चिन्हित योजना का विवरण	स्वीकृत लागत लाख में	अग्रिम धनराशि लाख में
1	2	3	4	5
1–	अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग– गौरीकुण्ड राजमार्ग संख्या 107 (पुरानी स0 109) के कि0मी0 7में रैम्प कटिंग एवं लोवरिंग का कार्य	9.44	4.50
2–	––तदैव ––––	रूद्रप्रयाग– गौरीकुण्ड राजमार्ग संख्या 109 के कि0मी0 5 में क्षतिग्रस्त दीवार का पुर्ननिर्माण कार्य चैनेज 4.215	23.70	10.00
3–	––तदैव ––––	रूद्रप्रयाग– गौरीकुण्ड राजमार्ग संख्या 109 के कि0मी0 5 में क्षतिग्रस्त दीवार का पुनः निर्माण (चैनेज 4.200 व 4.245)	10.48	5.00
4–	––तदैव ––––	रूद्रप्रयाग– गौरीकुण्ड राजमार्ग संख्या 109 के कि0मी0 4 में क्षतिग्रस्त दीवार का पुनः निर्माण (चैनेज 3.900)	18.46	9.00
5–	––तदैव ––	रूद्रप्रयाग– गौरीकुण्ड राजमार्ग संख्या 109 के कि0मी0 2 में क्षतिग्रस्त दीवार का पुनः निर्माण (चैनेज 1.700)	11.95	6.00
6–	––तदैव –––	रूद्रप्रयाग– गौरीकुण्ड राजमार्ग संख्या 109 के कि0मी0 5 में क्षतिग्रस्त दीवार का पुनः निर्माण (चैनेज 4.500 व 4.600)	16.13	8.00
7–	––तदैव ––––	रूद्रप्रयाग– गौरीकुण्ड राजमार्ग संख्या 109 के कि0मी0 4 में क्षतिग्रस्त दीवार का पुनः निर्माण (चैनेज 3.700)	12.64	6.00
8–	––तदैव ––––	रूद्रप्रयाग– गौरीकुण्ड राजमार्ग संख्या 109 के कि0मी0 14 में क्षतिग्रस्त दीवार का पुनः निर्माण (चैनेज 1300–13200)	24.97	10.00
9–	––तदैव––	रूद्रप्रयाग– गौरीकुण्ड राजमार्ग संख्या 109 के कि0मी0 14में क्षतिग्रस्त दीवार निर्माण मरम्मत कार्य (चैनेज 13500–13550)	24.95	10.00
10–	––तदैव––	रूद्रप्रयाग– गौरीकुण्ड राजमार्ग संख्या 109 के कि0मी0 14 में क्षतिग्रस्त दीवार निर्माण मरम्मत कार्य (चैनेज 13500–13600	24.95	10.00

11–	––तदैव––	रूद्रप्रयाग– गौरीकुण्ड राजमार्ग संख्या 109 के कि0मी0 20 क्षतिग्रस्त दीवार निर्माण मरम्मत कार्य (चैनेज 15500–15600	4.66	2.00
12–		रूद्रप्रयाग– गौरीकुण्ड राजमार्ग संख्या 109 के कि0मी0 20 क्षतिग्रस्त दीवार निर्माण मरम्मत कार्य (चैनेज 19450–19500	42.45	20.00
13–	––तदैव––	रूद्रप्रयाग– गौरीकुण्ड राजमार्ग संख्या 109 के कि0मी0 20 क्षतिग्रस्त दीवार निर्माण मरम्मत कार्य (चैनेज 19400–19450	45.53	20.00
14–	––तदैव––	रूद्रप्रयाग– गौरीकुण्ड राजमार्ग संख्या 109 के कि0मी0 18 व 19 के मध्य क्षतिग्रस्त दीवार निर्माण कार्य (चैनेज 17950–18275	95.56	30.00
15–	––तदैव–	रूद्रप्रयाग– गौरीकुण्ड राजमार्ग संख्या 109 के कि0मी0 19 चैनेज 18275–18350 के मध्य क्षतिग्रस्त दीवार निर्माण कार्य	99.98	30.00
16–	––तदैव––	रूद्रप्रयाग– गौरीकुण्ड राजमार्ग संख्या 109 के कि0मी0 20 चैनेज 19600–19700 के मध्य क्षतिग्रस्त दीवार निर्माण कार्य	19.04	9.50
	कुलयोग–		484.89	190.00

समिति द्वारा उपरोक्त समस्त योजनाओं /कार्यो की मरम्मत /पुर्ननिर्माण एवं पुर्नस्थापना कार्यो को वर्क चार्ज के आधार पर करने की अनुमति निम्न शर्तो /प्रतिबन्धों के तहत प्रदान की जाती है:–

1– कार्यदायी संस्था / एजेन्सी रू0 25 लाख तक के एक कार्य को वर्कचार्ज के आधार पर तत्काल मरम्मत /पुर्ननिर्माण/पुर्न स्थापना कार्य करना सुनिश्चित करेगी। 25 लाख से अधिक तथा 100 लाख तक के कार्यो हेतु निविदा आमत्रिंत की जायेगी। तथा निविदा की अवधि 7 दिन होगी। स्वीकृत आदेश प्राप्त होने पर कार्य तत्काल प्रारम्भ करना होगा। कार्य प्रारम्भ करने की लिखित सूचना पी.आई.यू. समिति को उपलब्ध करानी होगी।

2– उक्त कार्यो हेतु धनराशि प्राप्त होने पर कार्यदायी संस्था को स्वीकृत किये जा रहे आगणनों की अग्रिम धनराशि कालम् 5 के अनुसार भुगतान की जावेगी। शेष धनराशि का भुगतान कार्य समाप्ति के पश्यात् नियमानुसार उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जाय। कार्यदायी संस्था को कार्य के दौरान आवश्यकतानुसार धनराशि उपलब्ध करायी जावेगी।

3– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें नियमानुसार पूर्ण करनी आवश्यक है, एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों /विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित किया जावेगा

4– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कम से कम सहायक अभियन्ता स्तर के अधिकारी स्वयं स्थल निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करे कि आगणन में जो प्राविधान इगिंत किये गये है, वह स्थल के आवश्यकतानुसार है अथवा नही। स्थल आवश्यकतानुसार ही कार्य करवाना सुनिश्चित करे।

5– आगणन में जिन मदो हेतु धनराशि आकलित / स्वीकृत की गयी है व्यय उसी मद में किया जाय। एक मद की धनराशि का उपयोग दुसरी मदों में कदापि न किया जाय। यदि मद परिवर्तन किया जाता है तो इसके लिये कार्यदायी संस्था के अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें ।

6– कार्य की गुणवता एवं समयबद्वता के लिये कार्यदायी विभाग के कार्यालयध्यक्ष एवं कार्यदायी संस्था के अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगे।

7– कार्य स्वीकृत लागत में ही पूर्ण करवाये जाय। लागत में कोई पुनरीक्षण स्वीकार्य नही होगा।

8– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य सम्पन्न होने के पश्यात् क्षतिग्रस्त कार्य योजना के फोटोग्राफस उपलब्ध कराये जाय, कार्य पूर्ण होने पर योजना स्थल पर साईनवोर्ड पर स्वीकृत धनराशि, कार्य प्रारम्भ एवं पूर्ण होने का दिनांक व वर्ष, तथा कार्यदायी संस्था का नाम एवं कार्य योजना का पूर्ण विवरण अकिंत किया जाय।

9– कार्यो की सत्यता तथा गुणवता का प्रमाणीकरण जिला स्तर पर गठित तकनीकी समिति एवं परगने की परियोजना कियान्वयन इकाई (पी0आई0यू0) अथवा सम्बन्धित उप जिलाधिकारी अथवा परगना स्तर पर इसके निमित गठित कमेठी द्वारा किया जावेगा। तदनुसार ही कार्यदायी विभाग /संस्था को स्वीकृत धनराशि की अवशेष धनराशि अवमुक्त की जावेगी।

10 कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति आख्या प्रत्येक सप्ताह अनिवार्य रूप से उप जिलाधिकारी कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारी को उपलब्ध करायी जाय।

11– दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त कार्यो के मरम्मत/ पुर्ननिर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि के दुरपयोग व अनियमितता की स्थिति में कार्यदायी सस्था पूर्णरूप से उत्तरदायी होगी तथा कार्यदायी संस्था के विरूद्व कठोर विधि सम्मत कार्यवाही की जावेगी।

(चतर सिंह चौहान)
मुख्य कार्य अधिकारी (पी0आई0यू0)/
उप जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग।

कार्यालय उप जिलाधिकारी/ पी0आई0यू0 समिति तहसील रूद्रप्रयाग ।

संख्या 301-1 / पी0आई0यू0 बैंठक –2013–14, दिनांक रूद्रप्रयाग, मार्च 26, 2014

प्रतिलिपि– निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1– कार्यदायी संस्था को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि तत्काल कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित करे

2– उप कोषाधिकारी अगस्तमुनि।

3– तहसीलदार रूद्रप्रयाग।

4– जिला सूचना विज्ञान केन्द्र अधिकारी , जिला कार्यालय को बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु

5– जिलाधिकारी महोदय रूद्रप्रयाग।

मुख्य कार्य अधिकारी (पी0आई0यू0)/
उप जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग।